# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

**अपील संख्या :– 468/2025**

माजिद अली **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2/3) विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, (अराजपत्रित) सह अति0 निदेशक, प्रशासन, पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, जयपुर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, मालपुरा, जिला टोंक।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 11.02.2025
**आदेश की दिनांक** :

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री विक्रम सिंह भावला, अभिभाषक
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– लेखराज तोसवाड़ा, सदस्य**
**असलम मेहर, सदस्य**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मालपुरा, जिला टोंक में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्राथमिक स्वासथ्य केंद्र, मादासर, जिला फलौदी में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 400 कि.मी. दूर स्थानातरण किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का

आगे कथन है कि अपीलार्थी की पिता नैत्र रोग की बीमारी से पीड़ित है तथा जिसका ईलाज राजस्थान के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है (अनुलग्नक–2)। पिता की देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलर्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान नर्सिंग अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालपुरा जिला टोंक में निरंतर कार्यरत रखे जाने के आदेश फरमाए जावें।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मालपुरा, जिला टोंक में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्राथमिक स्वासथ्य केंद्र, मादासर, जिला फलौदी में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में स्थानान्तरण किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वे प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने इस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

**(असलम मेहर)**
**सदस्य**

**(लेखराज तोसवड़ा)**
**सदस्य**